.

इससे पहले टी.पी.एस. मान, जे.

अमृत लाल और अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य, -प्रतिवादी

सी.आर.एल. विविध. क्रमांक 52240/एम 2005

18 जनवरी 2007

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—एस.एस. 293(2) और 311— कई अवसरों के बावजूद आरोपी अपना बचाव करने में विफल रहे |—विशेषज्ञ की रिपोर्ट, एफएसएल को साक्ष्य में स्वीकार किया गया—आरोपियों द्वारा कोई आपत्ति नहीं-विशेषज्ञ को बुलाने की प्रार्थना, एफएसएल ने अस्वीकार कर दिया-चुनौती तत्संबंधी—एस. 293(2) उसके लिए विशेषज्ञ को बुलाने की अनुमति देता है | उसकी रिपोर्ट की विषय-वस्तु की जांच-विवेक- विवेकपूर्वक-न्याय करना नहीं चाहिए | ऐसा प्रतीत होता है कि परीक्षण अभियुक्त का अनुरोध किया जाना चाहिए था

निर्णय, हालांकि डॉ. आर.के. द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट। कौशल एफएसएल को बिना किसी आपत्ति के साक्ष्य के तौर पर स्वीकार कर लिया गया| आरोपी से और उक्त रिपोर्ट उसके बाद आरोपी को दी गई | जबकि उनसे सीआरपीसी की धारा 313 के तहत पूछताछ की गई। पी.ओ. फिर भी आपत्ति बचाव और बहस के चरण के दौरान उनके द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था |डॉ. आर.के. कौशल, जो उक्त रिपोर्ट के लेखक थे और एक विशेषज्ञ को जिरह के लिए बुलाया जाए। उनकी रिपोर्ट का मामला धारा 293(2) सीआर. पी.सी. परमिट विषय की जांच के लिए विशेषज्ञ को बुलाना हालाँकि, यह जरूरी नहीं है, लेकिन न्यायालय को ऐसा करना होगा |ऐसे किसी विशेषज्ञ को अपने लिए न्यायालय में बुलाते समय अपने विवेक का प्रयोग करें। न्यायालय को प्रदत्त इस विवेकाधिकार का प्रयोग किया जाना चाहिए |विवेकपूर्ण ढंग से उक्त उद्देश्य , विशेषकर जब अभियुक्त की ओर से अनुरोध आया हो |

307

(पैरा 7

ट्रायल कोर्ट द्वारा सीखे गए फैसले से इनकार नहीं किया गया कि ए गवाह को किसी भी स्तर पर वापस बुलाया या बुलाया जा सकता है, लेकिन इनकार करते समय डॉ. आर.के. को बुलाने के लिए अभियुक्त का अनुरोध कौशल, यह कायम रहा कि उक्त गवाह से जिरह आवश्यक नहीं थी। सीआरपीसी की धारा 311 के तहत. पी.सी. डॉ. आर.के. को बुलाने के लिए क्रॉस के लिए कौशल- संबंधित रिपोर्ट के संबंध में उसकी जांच की जा रही है। न्याय होना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए परंतु ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि किया गया है। दशा में अभियुक्त द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष वास्तविक अनुरोध करना, जैसे अनुरोध स्वीकार कर लिया जाना चाहिए था ताकि बाद में किसी भी समय ऐसा हो सके, वह यह आरोप नहीं लगा सकता कि उसे पर्याप्त अवसर नहीं दिया गयामुकदमे में उसका बचाव करो|

(पैरा 10)

डी.पी. सिंह, अधिवक्ता श्री मोहित माथुर, अधिवक्ता

याचिकाकर्ताओं.

वाई.पी. मलिक, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा

(1) याचिकाकर्ता अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), गुड़गांव 1 तारीख को पारित आदेशसितंबर, 2005, जिससे धारा 311 सीआरपीसी के तहत उनका आवेदन से व्यथित हैं। डॉ. आर.के. को बुलाने के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला से कौशल, मधुबन (संक्षेप में 'एफएसएल') को जिरह के लिए खारिज कर दिया गया।

(2) एफआईआर संख्या 80, दिनांक 14 मार्च 2001 का मुकदमा चल रहा था की अदालत में याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के खिलाफ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गुड़गांव। इसी दौरान अभियोजन पक्ष

रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया। 21 जुलाई को निदेशक एफएसएल का पीक्यू 2604. उस समय अभियुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गई इसकी स्वीकार्यता के संबंध में. अन्यथा भी उक्त रिपोर्ट स्वीकार्य साक्ष्य थी।धारा 293 के प्रावधानों के आधार पर साक्ष्य में अपने-अपने बयानों में पी.सी. उपरोक्त रिपोर्ट उदा. आरोपी को पीक्यू भी लगाया गया । अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी होने के बाद और आरोपियों के बयान धारा 313 के तहत दर्ज किए गए । बचाव साक्ष्य की रिकॉर्डिंग पी.सी. 13 अक्टूबर, 2004 को मामला आगे बढ़ा | अभियुक्तों को अपने बचाव का नेतृत्व करने के लिए कई बार स्थगन दिए गए। हालाँकि, 18 अगस्त को, 2005, उन्होंने डॉ. आर.के. को बुलाने के लिए एक आवेदन दायर किया। कौशल से रिपोर्ट एक्स पीक्यू के संबंध में उससे जिरह के लिए एफएसएल।आक्षेपित आदेश के माध्यम से यह प्रार्थना ट्रायल कोर्ट द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, -आक्षेपित आदेश के माध्यम से। ये हुआ था उसमें आरोपी को कई बार स्थगन दिया गया था | अंतिम स्थगन सहित अपने बचाव और तर्क का नेतृत्व करने के लिए 18 अगस्त, 2005 को मामले के निपटारे को लम्बा खींचने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया. इसके बाद उन्होंने उपरोक्त आवेदन दायर किया ।

(3) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यदि अभियुक्त को जिरह का अवसर डॉ. आर.के. कौशल का रिपोर्ट के संबंध में एफ.एस.एल. पीक्यू नहीं दिया गया, यह एक बड़ा पूर्वाग्रह है | उनके कारण होगा, इसके अलावा यह रिपोर्ट एक विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत की गई है |स्वत: साक्ष्य नहीं बनता और वह व्यक्ति, जिसके पास था | तैयार की गई उक्त रिपोर्ट का गवाह के रूप में परीक्षण किया जाना आवश्यक था अदालत में और जिरह का सामना करना पड़ा। भले ही एफएसएल रिपोर्ट संहिता की धारा 293 के तहत साक्ष्य में स्वीकार्य था, ए विशेषज्ञ और उक्त को बुलाने का विवेक न्यायालय के पास निहित है, विवेक का प्रयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना था।

(4) विद्वान राज्य वकील और प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शिकायतकर्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए प्रस्तुत किया कि रिपोर्ट पूर्व. पी.ओ. डॉ. आर.के. द्वारा तैयार किया गया। एफएसएल का कौशल स्वीकार्य था, जो उसी उस विशेषज्ञ को बुलाए बिना साक्ष्य के रूप में, जिसने तैयारी की थी

(5) आक्षेपित आदेश के माध्यम से सूक्ष्मता से मैंने पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है और चला गया हूं।

(6) डॉ. आर.के. की राय. एफएसएल के कौशल, जैसा कि इसमें निहित है, । यह एक विशेष रूप से कुशल व्यक्ति द्वारा दिया गया प्रासंगिक तथ्य था फोरेंसिक विज्ञान में. किसी विशेषज्ञ द्वारा दी गई ऐसी राय बनती है धारा 293(1) सीआर के प्रावधानों के मद्देनजर इस प्रकार स्वीकार्य है। पी.सी. किसी भी जांच में, इस संहिता के तहत अन्य कार्यवाही का परीक्षण। तथापि, धारा 293(2) न्यायालय को ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुलाने और उसकी जांच करने की अनुमति देती है, विशेषज्ञ को अपनी रिपोर्ट की विषयवस्तु के बारे में बताना होगा यदि वह उचित समझे।प्रासंगिक प्रावधानों को यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

" 293. कुछ सरकारी वैज्ञानिकों की रिपोर्टें विशेषज्ञ.—(1) कोई भी दस्तावेज जिसका आशय यह हो

एक सरकारी वैज्ञानिक के हाथ में रिपोर्ट विशेषज्ञ जिस पर यह धारा किसी भी मामले पर लागू होती है

या वह वस्तु जो उसे विधिवत जांच के लिए सौंपी गई हो या किसी भी कार्यवाही के दौरान विश्लेषण और रिपोर्ट इस संहिता के तहत पूछताछ, परीक्षण या अन्य कार्यवाही इस संहिता के तहत किसी भी मामले में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ।

(2) यदि न्यायालय उचित समझे तो सम्मन कर सकता है उनकी रिपोर्ट का मामलाविषय के संबंध में ऐसे किसी विशेषज्ञ की जांच करे।"

(7) वर्तमान मामले में, हलांकि रिपोर्ट उदा. पीक्यू को भर्ती कर लिया गया अभियुक्त की ओर से कोई आपत्ति किए बिना साक्ष्य में और इसके बाद उक्त रिपोर्ट आरोपियों को दी गई, जबकि उनसे पूछताछ की गई | सीआरपीसी की धारा 313 के तहत फिर भी इस दौरान उनके द्वारा आपत्ति जताई गई |बचाव और बहस का वह चरण जो डॉ. आर.के. कौशल, जो थे उक्त रिपोर्ट के लेखक और एक विशेषज्ञ को जिरह के लिए बुलाया जाए। धारा 293(2) सी.आर.पी.सी. को बुलाने की अनुमति देता है। ऐसे विशेषज्ञ को परीक्षण के लिए न्यायालय में बुलाते समय हालाँकि, यह जरूरी नहीं है, लेकिन न्यायालय को अपने विवेक का प्रयोग करना होगा। यह न्यायालय में निहित विवेक का प्रयोग विशेष रूप से विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए जब उक्त उद्देश्य के लिए अभियुक्त की ओर से अनुरोध आया था।

(8) हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम जय लाई में, (1), द माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, पहले के एक फैसले पर भरोसा करते हुए कि किसी विशेषज्ञ की रिपोर्ट स्वत: साक्ष्य में नहीं जाती और उनसे अदालत में गवाह के रूप में पूछताछ की गई और जिरह का सामना करना पड़ा। इसे इस प्रकार देखा गया:-

'किसी विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट खुद ब खुद साक्ष्य में नहीं जाती है, उनसे अदालत में गवाह के रूप में पूछताछ की जानी है और जिरह का सामना करना पड़ेगा इस मामले में यह न्यायालय हाजी मोहम्मद इकरामुल हक बनाम पश्चिम राज्य का बंगाल, AIR 1959 SC 488 के निष्कर्ष से सहमत हुआ , उच्च न्यायालय इस पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है ,एक विशेषज्ञ गवाह का साक्ष्य इस आधार पर कि उसका कारण साक्ष्य महज़ एक राय थी जो किसी के द्वारा समर्थित नहीं थी।"

(9) पंजाब राज्य बनाम बलराज सिंह तखर (2) में, ए इस न्यायालय की खंडपीठ ने माना कि हालांकि यह एक विशेषज्ञ की रिपोर्ट है, के प्रावधानों के मद्देनजर साक्ष्य में प्रथम दृष्टया स्वीकार्य था |संहिता की धारा 293 के अनुसार न्यायालय को एक अवसर देना चाहिए था शिकायतकर्ता को विशेषज्ञ को पेश करना होगा। इसे निम्नानुसार आयोजित किया गया:-

"इसके अलावा, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने भी इसकी सराहना नहीं की है "इसके अलावा, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने भी इसकी सराहना नहीं की है संहिता की धारा 293 के प्रावधान उनके अधिकार में हैं। यदि न्यायालय की राय थी कि रिपोर्ट इसे साबित करने की आवश्यकता है और इसमें कुछ स्पष्टीकरण का इरादा है, रिपोर्ट को पूर्णतः या आंशिक रूप से ख़ारिज करना विशेषज्ञ को पहले बुलाना न्यायालय के लिए अनिवार्य थ। निष्कर्ष विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए स्पष्ट रूप से विचारोत्तेजक हैं, तथ्य यह है कि इसमें पूरी तरह से और पर्याप्त रूप से गिरावट आई है,उस रिपोर्ट पर भरोसा करें, जो प्रथम दृष्टया स्वीकार्य थी । न्यायालय को एक अवसर देना चाहिए , शिकायतकर्ता को विशेषज्ञ को पेश करने के लिए कहा गया है।''

(10) विद्वान ट्रायल कोर्ट ने भी गवाह होने से इंकार नहीं किया,किसी भी स्तर पर वापस बुलाया या बुलाया जा सकता है, लेकिन अस्वीकार करते हुए डॉ. आर.के. कौशल को बुलाने के लिए अभियुक्त के अनुरोध पर यह माना गया उक्त गवाह की जिरह आवश्यक नहीं थी। परीक्षण अभी भी प्रगति पर था, आरोपी एक आवेदन लेकर आये थे सीआरपीसी

की धारा 311 के तहत. पी.सी. डॉ. आर.के. कौशल को बुलाने के लिए संबंधित रिपोर्ट के संबंध में उनसे जिरह की जा रही है। न्याय नहीं किया जाना चाहिए लेकिन ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि किया गया है। अभियुक्त द्वारा ट्रायल कोर्ट के समक्ष वास्तविक अनुरोध करने की घटना, इस तरह के अनुरोध को बाद में किसी भी समय स्वीकार कर लिया जाना चाहिए था मुकदमे में उसका बचाव करने के लिए कभी-कभी वह यह आरोप नहीं लगा सकता कि उसे पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया।

(11) तदनुसार, वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है, आक्षेपित किया जाता है,ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है और आवेदन दायर किया जाता है आरोपी द्वारा धारा 311 सीआर.पी.सी. के तहत. पी.सी. स्वीकार कर लिया है। परीक्षण कोर्ट को फोरेंसिक साइंस के डॉ. आरके कौशल को तलब करने का निर्देश दिया गया है प्रयोगशाला, मधुबन एक विशेष तिथि के लिए जिस दिन अभियुक्त पूर्व रिपोर्ट के संबंध में उनसे जिरह करेंगे। यह स्पष्ट कर दिया गया है, एक बार जब उक्त प्रतिवादी जिरह के लिए अदालत में उपस्थित होता है- परीक्षा, आरोपी उसी तिथि पर उससे जिरह करेगा और कोई भी स्थगन नहीं दिया जाएगा |

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित दनणणय वाि ी के सीदमत उपयोग के दिए है तादक वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और दकसी अन्य उद्देश्य के दिए इसका उपयोग नहीीं दकया जा सकता है । सभी व ् यवहाररक और आदिकाररक उद्देश्यो के दिए दनणणय का अींग्रेजी सींस्करण प्रमादणक होगा और दनष्पाि न और कायाणन्वयन के उद्देश्य के दिए उपयुक्त रहेगा ।

रेणू बाला

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

कुरुक्षेत्र